

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रार्थीगण :-

1. तुलसाराम
2. वगताराम
3. सोनाराम
4. बांकाराम पि. हेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी बांकाणा (धारासर) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

दिनांक

22/04/2022

विप्रार्थीगण:-

1. चुतराराम
2. रामाराम
3. वगताराम
4. प्रभूराम
5. मगनाराम पि. प्रहलादराम
6. नगाराम
7. कोशलाराम
8. नाथाराम पि. तुलसाराम
9. हनुमानराम पुत्र नारणाराम
10. वीरमाराम पुत्र अणदाराम
11. डालूराम
12. भलाराम पि. हनुमानराम
13. केशाराम पुत्र मूलाराम
14. मूलाराम
15. पदमाराम
16. देराजराम पि. गोमाराम जातियान कुम्हार
17. अमराराम पुत्र देदाराम, जाति जाट, निवासी बांकलसर (जैसार), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 61/2021

दिनांक : 22.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा बांकलसर के खेत खसरा सं. 324 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 333 रकबा 11.02 बीघा, खसरा सं. 363/325 रकबा 15.06 बीघा, खसरा सं. 366/325 रकबा 11.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी संक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण तुलसाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चुतराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

937 to 940

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन ok

दिनांक

22/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

उपख चौहटन ok

चौहटन